न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र 14(4)/04/2022

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–श्रीलाल पुत्र मांगी जाति खाती निवासी सेवला तहसील नदबई
2–केशव पुत्र मांगी जाति खाती निवासी सेवला तहसील नदबई
3–मोती पुत्र मांगी जाति खाती निवासी सेवला तहसील नदबई

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन आदेश दिनांक 08–10–1976 निरस्त किये जाने।

उपस्थितः–
1–राजकीय पैरोकार प्रार्थी0
2–श्री दीपक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय

दिनांक 29.4.2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू0 राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 विरुद्व आवंटन आदेश दिनांक 08–10–1976 को निरस्त किये जाने, इस आश्य की पेश किया गया है – संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 270, रकवा 4 विस्वा, 198/362 रकबा 1 बिस्वा, 203/363 रकबा 1 बिस्वा, 247/364 रकबा 2 बिस्वा, 134/315 रकबा 2 बिस्वा, 135/366 रकबा 4 बिस्वा, 46/367 रकबा 3 बिस्वा, 51/368 रकबा 2 बिस्वा, किता 8 रकबा 19 विस्वा को मांगी पुत्र कन्हैया जाति खाती निवासी ग्रांम सेवला को दिनांक 08.10.1976 को आवंटन की गई थी जिसके हाल खसरा नम्बर 206, 205, 286, 295, 401, 71, 72 बने हैं। जिस पर मांगी पुत्र कन्हैया जरिये नामातकण संख्या 39 गैर खातेदार दर्ज हुआ था। आवंटी मांगी की मृत्यू के बाद उसके वारिसान श्रीलाल, केशव, मोती पिसरान मांगी गैर खातदार दर्ज हुये। खसरा सख्या 206 को छोडकर शेष खसरा संख्या 205, 286, 295, 401, 71, 72 पर आवंन्टी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा है कभी भी आवंटन के पश्चात आज तक आवंन्टी या इसके वारिसान द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया है, केवल खसरा नंबर 206 पर कब्जा है जिसमें भी मौके पर फसल नहीं बोई जाति है केवल ईंधन लकडी वगे. डाल रखी है।

.... 2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र 14(4)/04/2022
तहसीलदार नदबई बनाम श्रीलाल वगे.
प्रार्थना पत्र 14(4)/02/2020
पूरनसिंह वगे बनाम केशव वगे.

है शेष खसरा नम्बर 205, 286, 295, 401, 71, 72 पर दीगर व्यक्तियों का ही कब्जा है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है और ना ही कभी काश्त की है। उक्त विवादित आराजी का आवंटन निरस्त कर सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थना पत्र 14(4)/02/2020

1–पूरनसिंह पुत्र किरोड़ी
2–खुशीराम पुत्र धर्मा
3–गम्भीर पुत्र धर्मा
4–रामदेई पत्नी पूरन
5–हरपाल सिंह पुत्र बृजेन्द्र

जाति जाट निवासी ग्रांम सेवला तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1–केशव पुत्र मांगी जाति खाती निवासी सेवला तहसील नदबई
2–मोती पुत्र मांगी जाति खाती निवासी सेवला तहसील नदबई
3–श्रीलाल पुत्र मांगी जाति खाती निवासी सेवला तहसील नदबई
4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 बाबत आवंटन आदेश दिनांक दिनांक 08–10–1976 निरस्त किये जाने।

उपस्थितः–
1–श्री पुरुषोत्तम मुदगल अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री दीपक शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी0

यह प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्रान साबिक 270, 198/362, 203, 249, 134, 135, 46, 51 कुल किता 8 रकवा 0.19 विस्वा जिनके हाल खसरा नम्बरान 206, 205, 286, 295, 401, 71, 72 बने हैं ग्रांम सेवला में स्थित है जिसका कथित आवंटन गैर प्रार्थीगण के पिता स्व0 मांगी पुत्र कन्हैया जाति खाती को दिनांक 08.10.1976 को हुआ था जबकि आवंटित मांगी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

एवं उसके वारिसान तीनों पुत्र आज तक आबंटित रकवा पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी0 ने आवंटन नियमों एवं शर्तो का पालन नहीं किया है। इसलिये आवंटन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण दिनांक 30.5.2020 को अपने खातेदारी खसरा नम्बर 207 पर ट्रेक्टर लेकर जा रहे थे तो अप्रार्थीगण ने आकर धमकी दी कि अब उन्हें सडक मार्ग से खसरा नम्बर 206 में से नहीं आने जाने देगें। जब जाकर राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तब इसकी जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से प्रार्थना अन्दर म्याद पेश किया गया है। देरी को माफ करते हुये प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश 8.10.1976 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

उक्त दोनों प्रकरण में विवादित आराजी एक ही है, और निर्णायक बिन्दू एक ही होने से दोनों प्रकरणों का निरस्तारण एक आदेश से किया जा रहा है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैराकार सरकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि खसरा सख्या 206 को छोडकर शेष खसरा संख्या 205, 286, 295, 401, 71, 72 पर आवंन्टी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं रहा है और कभी भी आवंटन के पश्चात आज तक आवंन्टी या इसके वारिसान द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया है, केवल खसरा नंबर 206 पर कब्जा है जिसमें भी मौके पर फसल नहीं बोई जाति है केवल ईंधन लकडी वगे. डाल रखी है। शेष खसरा नम्बर 205, 286, 295, 401, 71, 72 पर दीगर व्यक्तियों का ही कब्जा है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है और ना कभी काश्त की है। उक्त विवादित आराजी का आवंटन निरस्त कर सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी पुरुषोत्तम मुदगल ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अप्रार्थीगण के पिता मांगी को विवादित आराजी वर्ष 1976 में आवंटित हुई थी तब से लेकर आज तक आवंटी मांगी या उसके वारिसान अप्रार्थी. का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा है और ना ही आज तक काश्त की है। अप्रार्थीगण ने उपखण्डाधिकारी नदबई के यहॉ गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने के लिये दावा किया गया था जो खारिज हो चुका है। आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने एवं भूमि पर काबिज होकर कभी काश्त नहीं करने के कारण आवंटन आदेश 08.10.1976 निरस्त किया जावे। उनका यह भी कहना है

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र 14(4)/04/2022
तहसीलदारनदबई बनाम श्रीलाल वगे.
प्रार्थना पत्र 14(4)/02/2020
पूरनसिंह वगे बनाम केशव वगे.

कि आराजी खसरा नम्बर 206 जो रास्ते के काम आता है से प्रार्थीगण दिनांक 30.5.2020 को अपने खातेदारी खसरा नम्बर 207 पर ट्रेक्टर लेकर जा रहे थे तो अप्रार्थीगण ने आकर धमकी दी कि अब उन्हें सडक मार्ग खसरा नम्बर 206 में से नहीं आने जाने देगें। जब जाकर राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तब इसकी जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से प्रार्थना अन्दर म्याद पेश किया गया है। देरी को माफ करते हुये प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश 08.10.1976 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2018 पेज 665 एवं आर.बी.जे. 2020 पेज 651 उद्धरित किये।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री दीपक शर्मा ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी का आंवटन मांगी पुत्र कन्हैया को दिनांक 08.10.76 को हुआ था। जिस पर पिता मांगी बतौर आवंटी काबिज हुये और राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज हुये हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बताया कि खातेदारी का एक दावा उपखण्डाधिकारी नदबई के यहॉ विचाराधीन है। प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारु हैं। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर पेश किये गये हैं प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किये जावें। योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से आर.आर.टी 2025(1) पेज 128, आर.आर.टी 2023(1) पेज 559, उद्धरित किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर देरी से पेश किये गये हैं। प्रथमतः प्रार्थना पत्र के म्याद बिन्दू पर विचार किया गया।

आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

.....5

जिला कलेक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र 14(4)/04/2022
तहसीलदारनदबई बनाम श्रीलाल वगे.
प्रार्थना पत्र 14(4)/02/2020
पूरनसिंह वगे बनाम केशव वगे.

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद शुमार करते हुये, प्रार्थना पत्र की मैरिट पर विचार किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रकरण में निम्न बिन्दू तय होने हैं :–

1–आया अप्रार्थीगण के पिता मांगी को विवादित आराजी दिनांक 8.10.76 को आवंटित हुई थी..?

2–क्या गैर खातेदार से खातेदारी का दावा आज भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

3–आया विवादित आराजी पर आवंटी द्वारा कभी काश्त नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य रहता है...?

1–आया अप्रार्थीगण के पिता मांगी को विवादित आराजी दिनांक 8.10.76 को आवंटित हुई थी ?:–

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि विवादित आराजी मांगी पुत्र कन्हैया जाति खाती को जरिये आवंटन आदेश दिनांक 8.10.1976 को हुआ था। भूमिधारी तहसीलदार नदबई ने भी अपने प्रार्थना पत्र 14(4) में इस बात को स्वीकार किया है। मांगी पुत्र कन्हैया के फोत होने के बाद विरासतन उसके पुत्र अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज हुऐ हैं।

2–क्या गैर खातेदार से खातेदारी का दावा आज भी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ? :–

योग्य अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह कथन कि विवादित आराजी की खातेदारी बाबत एक दावा सहायक कलेक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध फोटो सत्यप्रतिलिपि नकल न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई दावा उनवानी केशव बनाम राज. सरकार वगे. अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट नम्बरी 163/2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी की खातेदारी के लिये प्रस्तुत यह दावा न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई द्वारा दिनांक 25.10.23 को खारिज किया जा चुका है।

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र 14(4)/04/2022
तहसीलदारनदबई बनाम श्रीलाल वगे.
प्रार्थना पत्र 14(4)/02/2020
पूरनसिंह वगे बनाम केशव वगे.

3—आया विवादित आराजी पर आवंटी द्वारा कभी काश्त नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य रहता है ? :—

प्रार्थी. का यह कथन है कि अप्रार्थीगण को आवंटित विवादित आराजी, आवंटन दिनांक से आज तक कभी कब्जा काश्त नहीं रही है। भूमिधारी तहसीलदार नदबई ने भी अपने प्रार्थना पत्र धारा 14(4) में अंकित किया है कि आवंटित विवादित आराजी पर आवंटन दिनांक से आज तक आवंटी मांगी लाल या उनके वारिसान अप्रार्थीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही विवादित आराजी पर कोई काश्त की है। आवंटन की शर्तों का उल्लंघन अप्रार्थीगण द्वारा किया गया है इसलिये तहसीलदार नदबई ने आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। योग्य अप्रार्थीगण की ओर से सिवाय जुबानी ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया, जिससे अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करना साबित होता हो। इससे यह निर्विवाद है कि आवंटन दिनांक से आज तक आवंटी मांगी लाल या उनके वारिसान अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा है और ना ही विवादित आराजी पर कोई काश्त की है। यानि आवंटन नियमों की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अस्तु आवंटन आदेश दिनांक 08.10.1976 काबिल खारिज के रहता है। इस सम्बन्ध में आर.बी.जे. 2018 पेज 665 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ ने प्रतिपादित किया है कि—

> ".....Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for Agricultural purposes) Rules 1970 Rule 14- When conditions of allotment has not been complied- Allotment rightly cancelled..."

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार हर दो प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र 14(4)/04/2022 एवं प्रार्थना पत्र 14(4)/02/2020 नियम 14(4) स्वीकार किये जाते हैं। आवंटन आदेश दिनांक 08.10.1976 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर कैम्प नदबई निरस्त किया जाता है। इसके बाद विवादित आराजी पर खोले गये सभी नामान्तकरण शून्य घोषित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल मिसिल हो।

आदेश आज दिनांक 29.4.2026 को लिखा जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर